न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर. ए. एस.)

नं. मु. :– 161/2025

निर्णय दिनांक :– 7/5/2026

बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा उम्र 63 वर्ष जाति महाजन निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

............प्रार्थी

बनाम

1. ज्यानादेवी पत्नी गोरधनराम उम्र वयस्क जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीनी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. ताराचन्द पुत्र मूलचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. भींवाराम पुत्र श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महेश्वरी निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चुरू)।
6. शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास।

.......अप्रार्थीगण

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं

136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955"

निर्णय

उपस्थित :–

1. लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 5

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 73 व पुराना 71 खसरा संख्या 114 तादादी 13.4558 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया पटवार हल्का दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत है। जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही पूर्ण एवं दस्तावेजी नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन निवासी दड़ीबा है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल की जगह अपना सही, पुर्ण एवं शुद्ध दस्तावेजी नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन का संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में कराये।

प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व वाद राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही बैनाथा जोगलिया पटवार हल्का दूंकर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर राजस्व वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित में जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शूद्ध एवं पूर्ण किया जाना उचित बताया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, व 6 बावजूद तामील न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और अप्रार्थी संख्या 3 की तामील पुनः लौट आयी। प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश कर तथ्य कि मेरा राजस्व वाद रिकॉर्ड में स्वयं के नाम में संशोधन का और आवश्यक प्रकृति का होना और वादी प्रतिवादीयों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोषा नहीं चाहना और प्रतिवादियों के कानुनी हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना अंकित करते हुए पेश किया तथा दौराने बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से तलबी में छुट प्रदान करते हुए पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया और बहस सुनी गई। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने राजस्व वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद आदि में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

महेश्वरी अंकित है। हमने पत्रावली का भलीभांति ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों और प्रार्थना पत्रों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धी से सम्बन्धित है, तथा आवश्यक प्रकृति का है और वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहना जाहिरा प्रकट किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद आदि में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम बैनाथा उमजी पटवार हल्का दूंकर के खेत खाता संख्या नया 73 व पुराना 71 खसरा संख्या 114 तादादी 13.4558 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्ध एवं पूर्ण नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 7/5/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
अधिकारी बीदासर
उपखण्ड
अधिकारी बीदासर